



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1826/2018

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
विनीत शर्मा 79 लव कुश नगर] द्वितीय] टोंक फाटक], जयपुर, राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक उद्योग विभाग, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 12-04-2018

1. अपीलार्थी उपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री संजीव सक्सैना, संयुक्त निदेशक, उपस्थित।
3. मैंने उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 23-5-17 के द्वारा टाई एवं डाई क्लस्टर जोधपुर की कार्यकारी सम्बल संस्थान की जिस राशि के लिए पी. डी. आर. एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है के सम्बन्ध में 5 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 23-8-17 के उपरान्त भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने निवेदन किया कि उन्हें अभी तक पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित समस्त सूचना उन्हें उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अपीलार्थी द्वारा बार बार पुनरावृत्ति कर सूचना चाही जा रही है। अपीलार्थी को यह भी निवेदन कर दिया गया था कि वे किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय में आकर नियमानुसार रिकॉर्ड का अवलोकन कर वांछित सूचना चिन्हित कर, निर्धारित शुल्क जमा करवाने के उपरान्त सूचना प्राप्त कर सकते हैं परन्तु वे कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। यह भी स्पष्ट किया कि पत्र दिनांक 5-6-17 से अपीलार्थी को विनिश्चय प्रेषित कर स्पष्ट कर दिया गया था कि बिन्दु संख्या 1 व 3 से सम्बन्धित सूचना हेतु महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जोधपुर को लिखा जा रहा है, अतः उक्त सूचना उनसे प्राप्त करें एवं इस सम्बन्ध में पत्र दिनांक 15-6-17 से जिला उद्योग केन्द्र, जोधपुर द्वारा भी सूचना उपलब्ध करवा दी गई एवं अन्य सूचना पत्र दिनांक 5-6-17 से अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। प्रथम अपीलीय निर्णय की अनुपालना में भी पत्र दिनांक 14-9-17 से पुनः अपीलार्थी को सूचना प्रदत्त कर दी गई।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 22-3-18 मय संलग्नक प्रस्तुत कर प्रति अपीलार्थी को पृष्ठांकित की है से प्रत्यर्थी के पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।

7. अपीलार्थी की प्रतिक्रिया एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की भावना एवं उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 21 दिवस में अपीलार्थी को पंजीकृत पत्र द्वारा एक निश्चित दिनांक, समय व स्थान पर सूचना से सम्बन्धित अभिलेखों के अवलोकन हेतु आमंत्रित कर लें। अपीलार्थी के अभिलेखों के अवलोकनोपरान्त उनके द्वारा चिन्हित एवं नियमानुसार देय सूचना शुल्क प्राप्त कर, अधिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर उपलब्ध करा दें।
8. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त